

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीनंगानगर

दलवीर सिंह आदि बनाम जगमीर सिंह आदि  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर्स्टीए नम्बर 53 सन् 2022  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/103

सं  
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इमिथिएल्स जज

नम्बर उ तापीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

10/2022

वादीगण दलवीर सिंह पुत्र जय सिंह जाति बावरी मियासी वर्क  
82 एक हल आबाद चक कुण्डल तहसील अमोहर जिला फाजिल्का पंजाब  
आदि को ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53  
88, 188, 89, 92 आर्स्टीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये  
प्रतिवादीगण को जरिरे सम्मन तलब किया जाकर पत्रादली दिनांक  
10.08.2022 को पेश हो।

10/5/22

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी  
को तलबी प्राप्त गयी। पत्रावली  
वास्ते तलबी इन्तजार दिनांक 20/8/22  
को पेश हो।

16/5/22

आज भक्त पत्रावली वादीगण अधिवक्ता  
के द्वारा प्राथना पत्र आ. 23 नियम  
1 CPC पेश करने पर पेशी नै ली  
गयी प्राथना पत्र नै निवेदन किया कि  
उभयपक्षकारण का लोक अदालत  
की भावना नै राजीनामा हो गया है।  
इसलिए वादीगण उक्त अनवान  
प्रकरण नै आगे कोई कार्यवाही  
नहीं भविते है। वादू को वापिस लेने  
की अनुमति प्रदान करे। वादीगण  
अधिवक्ता को सुना गया व  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
वादीगण का प्राथना पत्र आदेश  
23 नियम 1 CPC स्वीकार किया  
जाकर प्राथी/वादी का वादपत्र

Not-press  
by me  
de  
Kishore

इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली निधीति होकर नम्बर  
से कम होकर दाखिल दकतर ही।



②

उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर